

आरटीआई कानून के 21 वर्ष पूर्ण, ब्यावर के नरबदखेड़ा में जनसंघर्ष को याद किया

नरबदखेड़ा में आयोजित जनमेले में दस राज्यों के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया

ब्यावर, (निसं)। सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून के 21 वर्ष पूरे होने पर ब्यावर के नरबदखेड़ा में जनमेला आयोजित किया गया। इसमें दस राज्यों से आए सामाजिक कार्यकर्ताओं, मजदूर-किसान आंदोलन से जुड़े साथियों, युवाओं और आसपास के क्षेत्रों की सैकड़ों महिलाओं ने भाग लिया। मेले में आरटीआई आंदोलन के इतिहास और मौजूदा चुनौतियों पर चर्चा हुई। इस अवसर पर संग्रहालय के स्थायी भवन की नींव भी रखी गई।

सूचना का अधिकार कानून लंबे जनसंघर्ष का परिणाम है। मजदूरी के भुगतान, सरकारी रिकॉर्ड में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार के खिलाफ राजस्थान के गांवों में उठी आवाज ने जनसुनवाईयों के जरिए राष्ट्रीय आंदोलन का रूप लिया। मजदूर किसान शक्ति संगठन सहित अनेक साथियों के प्रयासों से सरकारी रिकॉर्ड तक जनता की पहुंच और जवाबदेही की मांग मजबूत हुई। इसी संघर्ष के फलस्वरूप वर्ष 2005 में कानून बना।

सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा राॅय ने कहा कि सूचना का अधिकार आम लोगों के साहस और भागीदारी से हासिल हुआ। इस आंदोलन ने दिखाया कि साधारण लोग संगठित होकर व्यवस्था में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। ब्यावर, भीम और आसपास के क्षेत्रों की इसमें अहम भूमिका रही है। इस इतिहास को सहेजकर अगली पीढ़ी तक पहुंचाना



कार्यक्रम को सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा राॅय सहित कई वक्ताओं ने संबोधित किया।

जरूरी है। निखिल डे ने कहा कि ये कानून जनता के संघर्ष से मिला अधिकार है, जो नागरिकों को सरकार से सवाल पूछने और सरकारी कामकाज की जानकारी हासिल करने की ताकत देता है। इसकी मूल भावना की रक्षा करना सामूहिक जिम्मेदारी है। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज की राष्ट्रीय अध्यक्ष कविता श्रीवास्तव ने आरटीआई को जनभागीदारी और सरकारी जवाबदेही का महत्वपूर्ण माध्यम बताया। उन्होंने ब्यावर में कार्यकर्ताओं पर हुए हमले की निंदा करते हुए उचित कार्रवाई की मांग की। संपादक रामप्रसाद कुमawat ने ब्यावर को सूचना के अधिकार आंदोलन की ऐतिहासिक पहचान के रूप में

स्थापित करने की जरूरत बताई और इसे ‘आरटीआई सिटी’ के रूप में पहचान दिलाने की बात कही। चुनो सिंह ने कहा कि सूचना के अधिकार के बाद अब जवाबदेही कानून हासिल करना जरूरी है, ताकि सरकारी व्यवस्था आम जनता के प्रति उत्तरदायी बने।

बदनोर, जवाबा, जैतारण, भीम और देवगढ़ से आई सैकड़ों महिलाओं ने मेले में हिस्सा लिया। उन्होंने अपने क्षेत्रों में मजदूरी, पेंशन, सरकारी योजनाओं और अन्य जनहित के मुद्दों पर अधिकार हासिल करने के अनुभव साझा किए और साथ काम कर रहे विभिन्न विश्वविद्यालयों के इंटरन और युवाओं ने भी भागीदारी की। झारखंड

से आए सार्थक, सरोज प्रिया, लाल सिंह, प्रवीर, डॉ. शेख, शंकर सिंह सहित अन्य वक्ताओं ने आंदोलन के इतिहास और मौजूदा चुनौतियों पर विचार रखे। चर्चा में इस बात पर जोर दिया गया कि सूचना तक पहुंच के साथ नागरिकों की सक्रिय भागीदारी और सरकारी कामकाज की निगरानी भी जरूरी है। आरटीआई संग्रहालय के स्थायी भवन की नींव अरुणा राॅय, निखिल डे और शंकर सिंह सहित सामाजिक कार्यकर्ताओं ने रखी। प्रस्तावित संग्रहालय में आंदोलन से जुड़े दस्तावेज, तस्वीरें और ऐतिहासिक सामग्री संरक्षित की जाएगी, ताकि सूचना के अधिकार के लिए हुए संघर्ष

- मेले में आरटीआई आंदोलन के इतिहास और मौजूदा चुनौतियों पर चर्चा हुई और संग्रहालय के स्थायी भवन की नींव भी रखी गई

की कहानी आने वाली पीढ़ियों तक पहुंच सके।

मेले में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान ब्यावर विधानसभा क्षेत्र में हटाए गए नामों का जमीनी सर्वे करने का संकल्प लिया गया। सर्वे के जरिए यह पता लगाया जाएगा कि कितने पात्र मतदाताओं के नाम सूची से कटे हैं और कौन अपने मताधिकार से वंचित होने की आशंका में है। प्रभावित लोगों की पहचान कर उनके नाम मतदाता सूची में दोबारा जुड़वाने के प्रयास किए जाएंगे। इसके लिए लोगों को संगठित करते हुए लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीकों से संघर्ष किया जाएगा तथा निर्वाचन अधिकारियों से जवाबदेही की मांग की जाएगी। मेले का संदेश था कि सूचना अधिकार, मताधिकार और सरकारी जवाबदेही लोकतंत्र के बुनियादी आधार हैं। इन अधिकारों को हासिल करने और सुरक्षित रखने में जनभागीदारी की निर्णायक भूमिका है।

कोटा में चोरी के तीन आरोपियों को पकड़ा, नगदी बरामद

कोटा, (निसं)। कैथून थाना इलाके में बकरे चोरी करने के दर्ज मामले में पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।पुलिस टीम ने पकड़े गये आरोपियों से चोरी किये गये बकरे की विक्री रकम १1800 रुपये भी बरामद किये है।

ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने बताया कि 12 सितम्बर को फरियादी मिरजा सगीर बेग ने कैथून थाने में रिपोर्ट दी। फरियादी ने रिपोर्ट में कहा कि उसके फार्म पर से 11 बकरे अज्ञात व्यक्ति चोरी करके लेे गया।

ग्रामीण एसपी ने बताया कि फरियादी की अनुसंधा की जाएगी।

सादुलपुर के मोडावासी गांव में दावत के दौरान विवाद, तीन घायल

सादुलपुर, (निसं)। मोडावासी गांव में घर पर आयोजित दावत के दौरान विवाद और मारपीट का मामला सामने आया है। थानाधिकारी राजेश सिहाग ने बताया कि गांव मोडावासी के जाकीर पुत्र असगर खां ने मामला दर्ज करवाया है।

दर्ज रिपोर्ट के अनुसार रात करीब 1०:30 बजे घर पर दावत का कार्यक्रम था, जिसमें चाचा गफार खां और उनके परिवार के सदस्य शामिल हुए थे। खाना खाने के बाद कुछ लोग अपने घर चले गए, जबकि परिवार के अन्य सदस्य आग्रस में बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान आरोप है कि शौकत के भाई सनीफ, आयुब और रफीक पुर्गण बशीर खां, शहजाद व शहनाज की पत्नी

- लाठी-गंडासी व कुल्हाड़ी से हमले का आरोप, राजगढ़ थाने में मामला दर्ज

शौकत कथित तौर पर लाठी, गंडासी, जेली और कुल्हाड़ी लेकर घर में आ गए। आरोप है कि शौकत शराब के नशे में गली-गलौज करने लगा। जब गफार खां ने विरोध किया तो आरोपियों ने उनकी तरफ दौड़ लगा दी, जिस पर गफार खां ने एक कमरे में घुसकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। आरोपियों ने दरवाजा तोड़ने का प्रयास भी किया। परिव्रादी ने रिपोर्ट में आरोप

लगाया कि शौकत ने जेली से महनाज के दाहिने हाथ पर वार किया, जिससे खून निकलने लगा। महनाज छह माह की गर्भवती बताई गई है और महिला के पेट पर लात मारने का भी आरोप लगाया गया है। इसके अलावा परिव्रादी की पुत्री शबीना के साथ लाठियों से मारपीट का आरोप है, जिससे शबीना और परिवार की एक अन्य महिला बेहोश हो गई। शोर सुनकर मोहल्ले के लोग मौके पर एकत्रित हुए,जिसके बाद आरोपी वहां से चले गए। घटना के बाद घायल शबीना, महनाज और बसकर को सरकारी अस्पताल राजगढ़ में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

लाठी-गंडासी व कुल्हाड़ी से हमले का आरोप, राजगढ़ थाने में मामला दर्ज

मंडावा, (निसं)। गांवों के विकास और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के दावों के बीच पंचायत समिति मंडावा की ग्राम पंचायत तोलियासर के गांव मखवास स्थित काजियों के मोहल्ले की समस्याएं ग्रामीणों की परेशानी बर्यां कर रही है। मोहल्ले में कहीं सड़कें क्षतिग्रस्त हैं तो कहीं रास्तों पर गंदा पानी जमा है। पेयजल टंकी की बदहाली, सफाई व्यवस्था की कमी और सरकारी स्कूल के जर्जर भवन को लेकर ग्रामीणों में काफी नाराजगी है। ग्रामीणों का आरोप है कि लंबे समय से इन समस्याओं की ओर जिम्मेदारों का पर्याप्त ध्यान नहीं है। हालात ऐसे हैं कि लोगों को बुनियादी सुविधाओं के लिए भी परेशान होना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से मौके पर पहुंचकर समस्याओं का जायजा लेने तथा जल्द समाधान कराने की मांग की है।

जानकारी के अनुसार मखवास के काजियों के मोहल्ले के मुख्य रास्ते जगह-जगह से क्षतिग्रस्त है। ग्रामीणों के अनुसार, सड़कों पर बड़े-बड़े गड्ढे बने हुए हैं, वहीं घरों से निकलने वाला गंदा पानी और बरसात का पानी रास्तों पर जमा हो जाता है। जलनिकासी की स्थायी व्यवस्था नहीं होने से पैलल राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी उठानी पड़ रही है। ग्रामीणों का कहना है कि रास्तों की मरम्मत और जलनिकासी की व्यवस्था करना जरूरी है, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पाया है।



मौहल्ले के लोगों ने मूलभूत समस्याओं को लेकर आक्रोश जताया।

मोहल्ले में पेयजल व्यवस्था की स्थिति को लेकर ग्रामीणों ने गंभीर चिंता जताई है। उनका आरोप है कि पेयजल के लिए बनी सीमेंटेड टंकी करीब डेढ़ साल से जर्जर हालत में पड़ी है। टंकी के ऊपर लगी पल्थर की कई पट्टियां टूटकर अंदर गिर चुकी हैं। ग्रामीणों के अनुसार टंकी के भीतर कोई जमा है और पक्षियों के मृत अवशेष भी पड़े रहते हैं। नियमित सफाई और रखरखाव के अभाव में पेयजल की गुणवत्ता को लेकर आशंकाएं बनी हुई हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पर्याप्त वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने के कारण उन्हें इसी पानी का उपयोग

गजनेर क्षेत्र को वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किए जाने के फैसले से हलचल मची

बीकानेर, (निसं)। जिले की कोलायत तहसील स्थित गजनेर क्षेत्र को वन्यजीव

अभयारण्य (वाइल्डलाइफ सेंचुरी) घोषित किए जाने के फैसले ने प्रशासनिक और औद्योगिक हलकों में बड़ा भूचाल ला दिया है। पर्यावरण विभाग की ओर से चार माह पूर्व 19 मई, को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत जारी की गई अधिसूचना से 330 करोड़ रुपये के राजस्व और करीब 20 हजार लोगों के रोजगार पर संकट खड़ा हो गया है। खान एवं भू-विज्ञान विभाग ने इस पर कड़ा ऐतराज जताते हुए अधिसूचना को विड़ा करने के लिए लिखा है।

गजनेर अभयारण्य की सीमा के भीतर वर्तमान में बॉल क्ले, फायर क्ले, चाइना क्ले, सिलिका सैंड, बजरी और मृगम के 112 खनन पट्टे वैध रूप से संचालित हैं, जिनसे सरकार को बीते वित्तीय वर्ष में 63 करोड़ रुपये का राजस्व मिला। इसके अलावा 48 पट्टों के मंशा पत्र (एलओआई) जारी हैं और 50 प्लॉट ई-ऑक्शन किए जा चुके हैं। वहीं अभयारण्य की 1० किलोमीटर की परिधि (ईको-सैंसिटिव जोन) में 200 वैध खनन पट्टे चल रहे हैं, जिनसे सालाना 113 करोड़ रुपये का राजस्व आता है। इसी परिधि में 18 प्लॉट पहले ही नीलाम हो चुके हैं और 13 प्लॉट ई-ऑक्शन की प्रक्रिया में हैं। यदि

- अभयारण्य की अधिसूचना के कारण 300 करोड़ से ज्यादा का राजस्व और 20 हजार लोगों के रोजगार पर संकट खड़ा हुआ
- पर्यावरण विभाग की ओर से चार माह पूर्व 19 मई, को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत जारी की गई थी अधिसूचना
- खान एवं भू-विज्ञान विभाग ने इस पर कड़ा ऐतराज जताते हुए अधिसूचना को विड़ा करने के लिए लिखा

अभयारण्य प्रभाव में रहता है, तो इन सभी पट्टों के संचालन और पर्यावरण क्षीयरंसे (ईसी) पर तलवार लटक जाएगी। इसके अलावा गजनेर को सेंचुरी बनाने से उद्योग विभाग (रीको) की महत्वाकांक्षी योजनाएं पूरी तरह टप हो सकती हैं। राज्य सरकार की वर्ष, 19 और 2025 की बजट घोषणाओं में यहां ‘गजनेर औद्योगिक क्षेत्र’ (802.53 एकड़) और ‘सिरेमिक पार्क गजनेर’ (227 एकड़) स्थापित करने के लिए जमीन आवंटित की गई थी। औद्योगिक क्षेत्र में 685 भूखंड और सिरेमिक पार्क में 13 बड़े भूखंड नियोजित किए गए हैं।

यह पूरा इलाका अभयारण्य सीमा में आने के कारण अब अरबों रुपये का औद्योगिक निवेश और सिरेमिक हब बनने का सपना खटाई में पड़ जाएगा।

अभयारण्य की 1० किमी परिधि में मेसर्स बी.एस. लिग्नाइट पावर प्रा. लि. का 1241.25 हेक्टेयर का लिग्नाइट खनन पट्टा भी आता है। केंद्र सरकार की अनुमति से संचालित इस खान से 125 मेगावाट का बिजली संयंत्र चलता है, जिससे सरकार को सालाना 8 से 9 करोड़ रुपये का राजस्व और 75० लोगों को सीधा रोजगार मिलता है। इन उद्योगों से प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े करीब 20 हजार लोगों का रोजगार संकट में आ जाएगा। गौरतलब है कि सीआ की रिपोर्ट के मुताबिक गजनेर क्षेत्र में 6150 मिलियन टन बजरी, 3600 मिलियन टन बॉल क्ले और 1482 मिलियन टन लिग्नाइट का अक्कू भंडार दबा है, जिसका दोहन रकने से राज्य के औद्योगिक विकास पर सीधा बड़ा असर पड़ेगा।

स्कूल के बच्चों से भरी वैन पलटी, हादसा टला

कोटा, (निसं)। ग्रामीण इलाके के सांगोद थाना इलाके में सोमवार सुबह स्कूली बच्चों से भरी एक वैन अनियंत्रित होकर पलटने का मामला सामने आया है। हादसे में वैन में सवार कुछ बच्चों को चोटें आई हैं। वैन में 18 बच्चे बताये गये हैं।

मामले में सामने आया कि वैन चालक शराब के नशे में था। हादसे की सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और वैन में फंसे हुए घायल बच्चों को बाहर निकाला। सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची और घायल बच्चों के अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बच्चों को छुट्टी दे दी गई। पुलिस उप अधीक्षक नरेन्द्र जैन ने बताया कि मंडपा गांव से कुछ दूरी पर एक स्कूली वैन अनियंत्रित होकर पलटा खाने को सूचना मिली, जिस पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची।

पुलिस उप अधीक्षक ने बताया कि मामले में सामने आया कि वैन चालक ने अपनी जगह परिचित को वैन लेकर



हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई।

मंडपा गांव से कुंदनपुर स्थित निजि स्कूल बच्चों को ले जाने के लिये वैन दी थीवैन चालक गांव से बच्चों को कुंदनपुर स्थित निजि स्कूल ने ले जाते समय मंडपा गांव से कुछ दूरी पर वैन अनियंत्रित होकर पलट गई। पुलिस उप

अधीक्षक ने बताया कि वैन चालक शराब के नशे में था, मामले में चालक को डिटैन कर मामला दर्ज किया गया है, हादसे में कुछ बच्चों को चोटें आई थीं जिन्हें अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई।

कार में आग लगाने के तीन आरोपी गिरफ्तार

सरकारी कर्मचारी ने लोन फोरक्लोजर के चक्कर में छह गुना ज्यादा रुपये गंवाये

सीकर, (निसं)। सीकर में सरकारी कर्मचारी ने लोन फोरक्लोजर के चक्कर में 6 गुना ज्यादा पैसे गंवा दिए। साइबर ठगों ने सरकारी कर्मचारी से बकाया 1.25 लाख के बदले 7.5० लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए। मामले में साइबर थाना पुलिस आगे की जांच में जुटी है।

साइबर थाना पुलिस में पीड़ित राहुल मीणा ने शिकायत दर्ज करवाई। रिपोर्ट के अनुसार राहुल ने ऑनलाइन एप से एडवांस सैलरी लोन लिया था। जिसके 1.25 लाख रुपए बकाया थे। ऐसे में वह बकाया राशि चुकाने के

लिए गुगल पर उस एप के लोन-फोरक्लोजर के बारे में सर्च करने लगा। यहीं से साइबर ठगों ने राहुल को निशाना बना लिया।

ठगों ने राहुल को लिमिट बढ़ने जैसे लालच देकर 7.5० लाख रुपए अलग-अलग अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिए। इसके बावजूद भी साइबर ठग 1 लाख रुपए की डिमांड और कर रहे थे। ऐसे में सरकारी कर्मचारी राहुल को शक हो गया कि वह साइबर ठगी का शिकार हो गए। उन्होंने इसकी साइबर पोर्टल पर शिकायत की।

साइबर पोर्टल पर शिकायत दर्ज

होने के बाद साइबर थाना पुलिस में मुकदमा दर्ज हुआ। अब पुलिस मुकदमे की जांच कर रही है। जिन बैक अकाउंट में साइबर ठगों ने सरकारी कर्मचारी राहुल से रुपए ट्रांसफर करवाए। उनके आधार पर अब साइबर थाना पुलिस आरोपियों का पता लगा रही है। साइबर थाना पुलिस का कहना है कि इस तरह के मामलों में ऑफिशियल वेबसाइट या पोर्टल के जरिए भुगतान करें या कंपनी के किसी प्रतिनिधि के जरिए भुगतान करें। जिससे कि आप साइबर ठगी का शिकार होने से बच सकें।

सीकर में राह चलती युवती से छेड़छाड़ की कोशिश

सीकर, (निसं)। सीकर में राह चलती युवती को अश्लील इशारे और छेड़छाड़ की कोशिश करने का मामला सामने आया है। आरोपी ड्राइवर ने युवती को टक्कर मारने की भी कोशिश की, हालांकि युवती जैसे-तैसे बचकर भाग निकली। मामले में अब युवती ने मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस जांच में जुटी है।

मामले में 25 साल की युवती ने पुलिस में शिकायत देकर बताया कि वह किसी काम से अपने गांव जा रही थी।

इसी दौरान एक युवक गाड़ी लेकर उसके पास आया। जिसने गाड़ी को लापरवाही से चलाते हुए युवती को टक्कर मारने की कोशिश की। हालांकि युवती साइड में होने से बच गई। इसके बाद युवती ने विरोध किया तो आरोपी ने गलत इशारे किए और फिर गाड़ी लेकर फरार हो गया। युवती ने गाड़ी के नंबरों की पहचान कर पुलिस में शिकायत दी है। गाड़ी के नंबरों के आधार पर पुलिस आरोपी का पता लग रही है।

25 साल पहले भारत आया बांग्लादेशी नागरिक अजमेर से दस्तयाब

जयपुर/अजमेरा। अजमेर में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत जिला पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने 27वीं कार्रवाई करते हुए 52 वर्षीय गुलाम मुस्तफा को दस्तयाब किया है।

पुलिस के अनुसार इसके साथ ही अभियान में अब तक दस्तयाब किए गए बांग्लादेशी नागरिकों की संख्या 61 हो गई है। पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला ने बताया कि पुलिस टीम ने दरगाह बाजार, जालियान कश्मिस्तान, अंदरकोट, नई सड़क, तारागढ़ की

पहाड़ी, सिलाबट मोहल्ला, बड़े पीर का चिल्ला, लंगर खाना गली, चश्मा-ए-नूर, त्रिपोलिया गेट, सोहले खंभा, झालरा और लाखन कोटड़ी सहित विभिन्न क्षेत्रों में तलाश की। इसी दौरान गुलाम मुस्तफा को दस्तयाब कर पूछताछ की गई। पुलिस के अनुसार, गुलाम मुस्तफा ने अपना पता बांग्लादेश के लालमुनिहाट जिले के गांव मुगलहाट का बताया। पूछताछ में उसने करीब 25 साल पहले पश्चिम बंगाल के मुगलहाट बॉर्डर के रास्ते अवैध रूप से भारत आने की बात कही। पूछताछ में सामने आया

कि भारत आने के बाद वह कुछ समय पश्चिम बंगाल में रहा और किराना दुकान चलाया, त्रिपोलिया गेट, सोहले खंभा, दरगाह शरीफ पहुंचा। वह खानाबदोश की तरह दिल्ली, उत्तराखंड, हरिद्वार, असम, गुजरात और महाराष्ट्र सहित विभिन्न स्थानों पर रहा। करीब तीन महीने पहले वह दोबारा अजमेर आया और दरगाह क्षेत्र में रहने लगा। सोमवार को दरगाह थाना पुलिस और सीआईडी की टीम उसे थाने लेकर आई। फिलहाल उसकी नागरिकता और भारत में प्रवेश से जुड़े तथ्यों की जांच की जा रही है।